

## जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक : एफ / विकास / 2011 / ६३६

दिनांक 1 Sept. 2011

### सामान्य परिपत्र

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली द्वारा कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम के क्रियान्वयन हेतु  
प्रसारित measures for the becoming of standards in Higher education 2010 में वर्णित  
अर्हताओं की पूर्तियाँ करने वाले पात्र उपाचार्य/एसोसियेट प्रोफेसर्स जो रूपये 9000/- के AGP के  
साथ ३ वर्ष की सेवापूर्ण कर चुके हैं एवं प्रवर श्रेणी वेतनमान धारक ऐसे प्राध्यापक जो रु. 8000/- के  
AGP के साथ ३ वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं, से पदोन्नति हेतु निर्विशित API के आधार पर वांछित  
P.B.A.S प्रपत्रों के साथ आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम के अन्तर्गत पदोन्नति हेतु उपरोक्त वांछित आवेदन पत्र सामान्य  
परिपत्र प्रसारित होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में उचित माध्यम से माननीय कुलपति महोदय  
के सचिवालय में आवश्यक रूप से प्राप्त हो जाने चाहिये।

3 मार्च 2013  
कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. विभागाध्यक्ष/प्रभारी समस्त अध्ययनशालायें एवं अध्ययन केन्द्र, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर  
को विभाग में सेवारत सम्बंधित उपाचार्य/एसोसियेट प्रोफेसर्स एवं प्रवर श्रेणी वेतनमान धारक  
सहा प्राध्यापकों (लेक्चरर्स) की जानकारी में लाये जाने हेतु।
- 2 संकायाध्यक्ष समस्त संकाय, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- 3 समस्त अधिकारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- 4 अध्यक्ष/सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

3 मार्च 2013  
कुलसचिव  
कृ०